

कार्यालय :— प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम् (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 101 / दो—11—17 / 23

नर्मदापुरम्, दिनांक 01 / 02 / 24

मैं रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम् कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :—

अ— पेज क्रमांक 12 की कंडिका 21 के कॉलम 2 में वर्णित “प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम् के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम्, शृंखला न्यायालय, सिवनी मालवा (श्री सिराज अली)” को विलोपित करते हुये “प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम् के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा (श्रीमती तबस्सुम खान)” प्रतिस्थापित किया जाता है।

ब— पेज क्रमांक 16 एवं 17 की कंडिका 28 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया को विलोपित करते हुये, निम्नानुसार कंडिका 28 एवं 29 पुनः प्रतिस्थापित की जाती है :—

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
28	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिपरिया (श्री मनीष कुमार पाटीदार)	सेशन खंड नर्मदापुरम् तहसील पिपरिया, बनखेड़ी एवं पचमढ़ी	<p>1— रुपये 1,00,00,001/- से अधिक तथा रुपये 10,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले।</p> <p>2— थाना पिपरिया, बनखेड़ी जी.आर.पी पिपरिया एवं पचमढ़ी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>3— आबकारी वृत्त, पिपरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न जमानत याचिकायें।</p> <p>4— द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिपरिया एवं शृंखला न्यायालय पचमढ़ी के न्यायालय के निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल अपीलें एवं विविध अपीलें।</p> <p>5— श्री देव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया एवं शृंखला न्यायालय पचमढ़ी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली दाइडक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।</p> <p>6— न०पा० अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</p> <p>7— हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण</p>

			<p>अधिनियम 1956 8— हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधियो 1955 के तहत मामले। 9— माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले। 10— संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 के तहत मामले। 11— इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12— प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका मूल्यांकन 2 लाख से कम हो। 13— ऐसे समस्त जिला/अपर सेशन न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक न्यायालय लिंक कोर्ट, पिपरिया जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उदभूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 14— बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 15— अन्य कार्य जो समय—समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जावे।</p>
29	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिपरिया (श्रीमती अर्चना रघुवंशी)	सेशन खंड नर्मदापुरम तहसील पिपरिया, बनखेड़ी एवं पचमढ़ी	<p>1— थाना स्टेशन रोड, पिपरिया एवं वन परिक्षेत्र, पिपरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं जमानत याचिकायें। 2— प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पिपरिया एवं प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल /विविध अपीलें एवं आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण याचिकायें। 3— अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें। 4— म0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेटरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40</p>

			<p>रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपर्मेट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म0प्र0 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डब्लपर्मेट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण।</p> <p>5— हिंदू विवाह अधि0 1955 के तहत एवं अन्य वैवाहिक अधिनियम के बाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>6— समय—समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु सौंपा जाने वाला कार्य।</p>
	तहसील मुख्यालय पिपरिया पर प्रस्तुत होने वाले	<p>7— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही।</p> <p>8— महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>9— म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण।</p>	

स— आवश्यक कार्य के निराकरण संबंधी चार्ट में कंडिका 7, 11, 12 एवं 13 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित की जाती है :—

क्र0	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का पद	कॉलम नं0 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2 एवं 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2,3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
7	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
11	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी

12	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी
13	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर

sd/-
(रामकुमार चौबे)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)